[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)]

## Government of India Ministry of Corporate Affairs

## Notification

New Delhi, the ( February, 2021

S.O......(E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Companies (Amendment) Act, 2020 (29 of 2020), the Central Government hereby appoints the | | February, 2021 as the date on which the provisions of section 52 and section 66 of the said Act shall come into force.

[File No. 1/3/2020-CL.I]

K.V.R. Murty

Joint Secretary to the Government of India

## [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ] भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीखः )) फरवरी, 2021

का.आ.\_\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 29) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1 फरवरी, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 52 और धारा 66 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फाइल सं. 1/3/2020-सीएल-I] के.वी.अर.मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार